

एयर इंडिया का पुनः “राष्ट्रीयकरण” (नैशनलाइज़ेशन) करने की माँग उठने लगी है

रद्द उड़ानें, उड़ान भरने में बेवजह देरी आदि कारणों से यह छवि बन रही है कि एयर इंडिया में अब शीर्ष स्तर पर नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) के पर्याप्त अनुभव की कमी है

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 03 अगस्त। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी द्वारा टाटा समूह से एयर इंडिया को वापस लेने की सरकार से की गई मांग ने एक बार फिर उस बहस को ज़िंदा कर दिया है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि जनवरी 2022 में एयरलाइन के निजीकरण के साथ ही यह मामला सुलझ गया था। टाटा के नेतृत्व वाली एयर इंडिया के “प्रबंधन में गड़बड़ी” बताते हुए, तिवारी ने समूह पर राष्ट्रीय संपत्ति को कुप्रबंधन की मिसाल बनाने का आरोप लगाया, जिसमें उड़ान रद्द हो रही हैं समय पर उड़ानें नहीं मिल रही और विमानन क्षेत्र की समझ की कमी दिखाई दे रही है। तिवारी की निराशा पूरी तरह निराधार नहीं है। सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायतें भरी पड़ी हैं, अनियमित समय-सारणी, खराब ग्राहक सेवा और व्यवस्थागत गड़बड़ियाँ। समूह द्वारा आधुनिक, और

- पर, क्या पुनः नैशनलाइज़ेशन करना इस समस्या का सही निदान है। क्योंकि एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपना एक “इमोशनल” निर्णय नहीं था, बल्कि आर्थिक विवशता दी। एयर इंडिया 60 हजार करोड़ रूपए का घाटा दे चुकी थी तथा सरकार के अनुदान के कारण घिसट रही थी। आशा की थी कि प्राइवेट हाथों में मैनेजमेंट जाने के बाद, यह घाटा रूकेगा तथा धीरे-धीरे एयर इंडिया चुस्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जायेगी।
- टाटा संस ने चुस्त बनाने की दिशा में कदम भी उठाये तथा सिविल एविएशन इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया नये हवाई जहाजों के लिए। स्टाफ के प्रशिक्षण के नये कोर्स शुरु किये गये तथा एयर इंडिया ब्राण्ड की विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई। पर, यह काम वर्षों चलने के बाद रिजल्ट दिखाता है। अतः एक प्रतिक्रिया यह भी है कि अब पुनः नैशनलाइज़ेशन की बात करना न्यायोचित नहीं है।

यात्रियों के अनुकूल एयर इंडिया का जो वादा किया गया था, वह अब तक पूरी तरह हकीकत नहीं बन पाया है। लेकिन

क्या इन शुरुआती समस्याओं की वजह से एक ऐतिहासिक सुधार को वापस लिया जाना चाहिए? क्या सरकार को

उस एयरलाइन को फिर से अपने हाथ में लेना चाहिए, जिसे वह सालों तक सक्बिडी देकर भी चला नहीं पाई थी? पहले यह समझना जरूरी है कि एयर इंडिया का निजीकरण कोई आइडियोलॉजिकल फैसला नहीं था, बल्कि एक वित्तीय मजबूरी थी। यह एयरलाइन सरकार के लिए एक आर्थिक बोझ बन चुकी थी, 60,000 करोड़ से अधिक का नुकसान था, और सरकारी मदद से ही चल रही थी। करदाताओं का पैसा इस अनुत्पादक संस्था को बचाने में खर्च हो रहा था, जबकि वही पैसा स्वास्थ्य सेवा या बुनियादी ढाँचे में लग सकता था।

यह तो कहना पड़ेगा कि टाटा संस ने एक बहुत ही जटिल और संकटग्रस्त एयरलाइन संभाली है। चार एयरलाइनों (एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया) का एकीकरण कोई आसान काम नहीं है। टाटा ने विमानन इतिहास का सबसे बड़ा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उम्र कैद की सजा के खिलाफ रेवन्ना हाई कोर्ट पहुँचे

बेंगलु, 03 अगस्त। यौन शोषण के एक मामले में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के परम्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में कैदी नंबर दिया गया। इस बात की जानकारी रविवार (3 अगस्त, 2025) को जेल अधिकारियों ने दी।

प्रज्वल ने कथित तौर पर

- यौन शोषण के मामले में सांसद विधायकों की विशेष अदालत ने शेष जीवन तक कारावास की सजा सुनाई थी।

कर्मचारियों को सूचित किया है कि उसने अपनी सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व सांसद फिलहाल उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में बंद है और उसे कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। प्रज्वल को शनिवार (2 अगस्त) को शेष जीवन तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई और कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि 11.25 लाख रुपये रेवन्ना के परिवार की घरेलू सहायिका व पीड़िता को दिए जाएं।

‘साढ़े छः लाख बिहारी श्रमिकों को तमिलनाडु का मतदाता बनाना अवैध’

चिदंबरम ने इसे तमिलनाडु के मतदाताओं के मनपसंद सरकार चुनने के अधिकार में हस्तक्षेप बताया

चेन्नई, 03 अगस्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को भी मतदान का अधिकार देने का चुनाव आयोग का फैसला चिंताजनक और अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम तमिलनाडु के मतदाताओं के मनपसंद सरकार चुनने के अधिकार में घोर हस्तक्षेप होने के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों का भी “अपमान” है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, “जहाँ बिहार में 65 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को मतदाता के रूप में जोड़ने की खबरें चिंताजनक और स्पष्ट रूप से अवैध हैं। उन्हें “स्थायी प्रवासी” कहना प्रवासी श्रमिकों का अपमान है और तमिलनाडु के मतदाताओं के अपनी नहीं लौटते, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं? क्या प्रवासी श्रमिक छठ पूजा के त्योहार के समय बिहार नहीं लौटते?

- चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया रोजाना अजीब होती जा रही है। अगर प्रवासी मजदूर के परिवार का बिहार में स्थायी घर है तो उसे तमिलनाडु में “स्थायी प्रवासी” कैसे माना जा सकता है?”

प्रवासी श्रमिक जैसे छठ पूजा में वापस घर जाते हैं वैसे ही वे चुनावों में मतदान के लिए गृह राज्य क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, "प्रवासी श्रमिक विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए बिहार (या अपने गृह राज्य) क्यों नहीं लौटते, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं? क्या प्रवासी श्रमिक छठ पूजा के त्योहार के समय बिहार नहीं लौटते?

जब प्रवासी श्रमिक का बिहार (या दूसरे राज्य) में घर है तो उन्हें तमिलनाडु की मतदाता सूची में कैसे जोड़ा जा सकता है?" चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया रोजाना ही और भी ज्यादा अजीब होती जा रही है। अगर प्रवासी मजदूर के परिवार का बिहार में स्थायी घर है और वह बिहार में रहता है, तो उसे तमिलनाडु में “स्थायी प्रवासी” कैसे माना जा सकता है?" उन्होंने पोस्ट में लिखा, "चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और राज्यों के चुनावी चरित्र और पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहा है। शक्तियों के इस दुरुपयोग का राजनीतिक और कानूनी विरोध करना चाहिए। विदित हो कि इससे पहले ड्रिविड मुनेत्र कथमग (द्रमुक) और उसके सहयोगी दलों ने राज्य में प्रवासी मजदूरों को वोट देने का अधिकार देने के चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद होगी

नई दिल्ली, 03 अगस्त। भारतीय डाक विभाग ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को अब स्पीड पोस्ट के साथ ही मिला दिया जाएगा। यानी अब ग्राहकों को पार्सल भेजने के लिए सिर्फ स्पीड पोस्ट की ही सुविधा मिलेगी। डाक विभाग ने बताया है कि इस फैसले के बाद पोस्ट सर्विस तेज और आधुनिक बनेगी।

- डाक विभाग, स्पीड पोस्ट सर्विस को तेज और आधुनिक बनायेगा।

सर्विस की सुविधा साल1854 में शुरू की गई थी। इसके जरिए ग्राहक जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कीमती सामानों को भेजा करते थे। हालांकि अब 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्टसेलेबल नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस में ग्रूफ ऑफ डिलीवरी और रिसीवर के सिग्नेचर की जरूरत होती थी, जो अब ये स्पीड पोस्ट में मिलेगी।

आधिकारिक डाक डेटा 2011– (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरयू नहर में बोलेरो डूबी, 11 की मौत

मृतकों में गोंडा के सीहा गाँव के 3 भाईयों के परिवार के 9 सदस्य व दो पड़ोसी हैं

गोंडा, 03 अगस्त। यूपी के गोंडा में रविवार सुबह 10 बजे तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 भाइयों के परिवार के 9 लोग थे, जबकि 2 लोग पड़ोसी परिवार के थे। छोटे भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया। ड्राइवर सहित 4 लोग बच गए। अभी 10 साल की बच्ची लापता है। एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश में जुटी है।

बोलेरो सवार 16 लोग जल चढ़

ने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। सभी गोंडा के मोतीगंज थाना के सीहा गाँव के रहने वाले थे। हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी नहर में गिरने के बाद एक भी शख्स बाहर नहीं निकल पाया। बारिश के कारण नहर में लबालब पानी भरा है। नहर में गिरते ही गाड़ी पूरी तरह से डूब गई। उसके गेट लॉक हो गए। अंदर बैठे

लोग छटपटाते रहे। जानकारी के अनुसार, गाड़ी नहर के किनारे बनी सड़क से निकल रही थी। नहर क्रॉस करके जाना था। पुलिस के पास अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तेज स्पीड और बारिश की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिरने लगी। इस पर ड्राइवर गेट खोलकर कूद गया। आगे की सीट में बैठे 2 लोग भी बाहर आ गए। बच्ची पिंकी बीच में खड़ी थी। ड्टके से वह भी ड्राइवर साइड के गेट से बाहर आ गई। इसके बाद बोलेरो नहर में गिर गई।

जहाँ हादसा हुआ, वहाँ आसपास ग्रामीण मौजूद थे। बोलेरो नहर में गिरती देख वो लोग बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन गेट नहीं खोल पाए। रस्सी बांधकर बोलेरो को किनारे तक लाए, तब जाकर गाड़ी का कुछ हिस्सा बाहर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्रेनाइट खदान में बोल्ट्जर गिरने से 6 मजदूरों की मौत

बापतला, 03 अगस्त। आंध्रप्रदेश में बापतला जिले के बल्लीकुरवा गाँव में एक ग्रेनाइट खदान में रविवार को एक भारी शिलाखंड (बोल्ट्जर) गिरने से छह मजदूरों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गये।

- पुलिस सूत्रों ने बताया कि मजदूरों का एक समूह सत्य कृष्णा ग्रेनाइट खदान में काम कर रहा था, तभी एक पहाड़ी से विशाल पत्थर लुढ़ककर उन पर गिर गया जिसमें छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी। अब तक चार शव बाहर निकाले जा चुके हैं और दो
- आंध्र प्रदेश में हुई दुर्घटना में चार अन्य मजदूरों की हालत नाजुक है।

को निकालने के प्रयास जारी है। जिस समय यह हादसा हुआ, तब ग्रेनाइट खदान में 16 मजदूर काम कर रहे थे। इस हादसे में घायल अन्य मजदूरों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चार मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रारंभिक जाँच के अनुसार, हादसे में मारे जाने वाले मजदूर ओडिशा के थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

नागपुर, 03 अगस्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम को ये धमकी भरा कॉल आया है। इस कॉल के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार,रविवार सुबह 8:46 बजे

- रविवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में बम से उड़ाने की धमकी का फोन आया था।
- नागपुर पुलिस ने गडकरी के घर पर डोंग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ घंटों में ही धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया। वह एक देशी शराब की दुकान पर काम करता है।

पुलिस कंट्रोल के 112 नंबर पर गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी का कॉल आने के बाद पुलिस ने स्थानीय पुलिस थाने को मामले की जानकारी दी है। कंट्रोल रूम को कॉल आने के बाद प्रताप नगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से दो वोटर आईडी कार्ड पर जवाब मांगा

आयोग ने तेजस्वी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाये वोटर कार्ड की मूल प्रति मांगी

पटना, 03 अगस्त। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियाँ जुटी हुई हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ ती हुई दिख रही है। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के अनुसार, तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता के दौरान दिखाए गए इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ई.पी.आई.सी.) संख्या आरएबी 2916120 की जांच की जाएगी। आयोग ने तेजस्वी यादव से इसकी मूल प्रति मांगी है, जिसके लिए नोटिस जारी किया है।

चुनाव आयोग की प्राथमिक जांच के अनुसार, तेजस्वी को ई.पी.आई.सी. कार्ड का

विवरण (कार्ड की मूल प्रति सहित) आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। दरअसल तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी ने शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने ई.पी.आई.सी. नंबर (आरएबी 2916120) को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सच किया, लेकिन नो रिकॉर्ड

- आयोग का कहना है कि जो कार्ड तेजस्वी ने दिखाया वह 10 साल से रिकॉर्ड में नहीं है तथा गत दो चुनाव तेजस्वी यादव ने जिस वोटर आईडी पर लड़े, वह दूसरा है।

तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र संख्या 204, क्रमांक 416 पर दर्ज है। उनका वैध ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 0456228 है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया था कि तेजस्वी ने पीसी के दौरान जो ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 2916120 दिखाया, वो पिछले

फाउंड का मैसजे आया। इसी बात को लेकर उन्होंने आयोग पर सवाल उठाए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि आयोग ने उनके दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि

10 साल में कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। जबकि तेजस्वी ने जिस ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 0456228 के आधार पर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े, वो आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद है। बिहार एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ताओं ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर सियासी हमला बोला। एनडीए प्रवक्ताओं ने दो ई.पी.आई.सी. नंबर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आया कहाँ से? कोई भी व्यक्ति दो मतदाता पहचान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की कीमत घटाई

नई दिल्ली, 03 अगस्त। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कई जरूरी दवाएँ पहले से सस्ती मिलेंगी। सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की कीमत घटा दी है, जिससे दिल, डायबिटीज, मानसिक रोग और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के मरीजों को सीधी राहत मिलेगी। ये फैसला रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए की सिफारिश पर लिया है। इसके तहत जिन दवाओं की कीमतें कम की गई हैं, वह लंबे समय से चल रही बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख

- नोटिफाइड कीमतों की पालना नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

फॉर्मूले में एसक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैबुलनेट के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एटोरवास्टेटिन कॉम्बिनेशन और एम्पैग्लिफ्लोजिन, सिटार्ग्लिटिन और मेटफॉर्मिन जैसे नए ओरल एंटीडायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं।

नोटिफाइड कीमतों का पालन न करने पर डीपीसीओ, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिसमें ब्याज सहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)